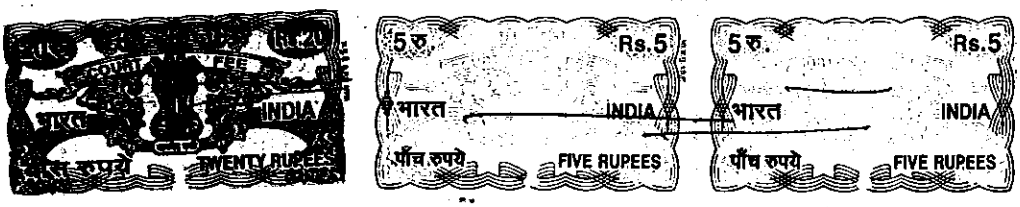

164

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–शिवपुरी निग 4249–II–16

खुमान आदिवासी पुत्र रामसिंह आदिवासी (सेहर) निवासी– ग्राम पिपरा, अछरौनी, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

-- आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला – शिवपुरी (म.प्र.)

-- अनावेदक

श्री ...... द्वारा आज दि. 19.12.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 19-12-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

797
19-12-16

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/2016–17 /अ–21 में पारित आदेश दिनांक 28.10.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी का आदेश, अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, कलेक्टर जिला शिवपुरी प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही तथा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना जो आदेश पारित किया गया है, वह नितांत अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3. यहकि, कलेक्टर जिला शिवपुरी के समक्ष आवेदक द्वारा अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम हसर्रा, रा.नि.म. मुहारी, तहसील खनियाधाना के सर्वे नम्बर 1143 रकवा 0.900 है0 एवं सर्वे नम्बर 75 रकवा 0.490 है0, सर्वे नम्बर 76 रकवा 2.850 है0 तथा ग्राम रतवास हल्का नम्बर 70 हसर्रा रा.नि.म. मुहारी एवं सर्वे नम्बर 2185/2 रकवा 0.950 है0 स्थित ग्राम बामौरकला, हल्का नं.69 में स्थित है। उक्त सर्वे नम्बरों में क्रमशः सर्वे नम्बर 1143 रकवा 0.900 है0 में से सम्पूर्ण 0.900 है0, सर्वे नम्बर 75 एवं 76 कुल रकवा 3.340 में से 0.40 हैक्टेयर एवं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4249/दो/2016 जिला–शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19.12.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 4/2016–17/अ–21 में पारित आदेश दिनांक 28.10.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा आवेदक द्वारा अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम हसर्रा, रा.नि.म. मुहारी, तहसील खनियाधाना के सर्वे नम्बर 1143 रकवा 0.900 है0 एवं सर्वे नम्बर 75 रकवा 0.490 है0, सर्वे नम्बर 76 रकवा 2.850 है0 तथा ग्राम रतवास हल्का नम्बर 70 हसर्रा रा.नि.म. मुहारी एवं सर्वे नम्बर 2185/2 रकवा 0.950 है0 स्थित ग्राम बामौरकला, हल्का नं.69 में स्थित है। उक्त सर्वे नम्बरों में क्रमशः सर्वे नम्बर 1143 रकवा 0.900 है0 में से सम्पूर्ण 0.900 है0, सर्वे नम्बर 75 एवं 76 कुल रकवा 3.340 में से 0.40 हैक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 2185/2 रकवा 0.950 में से 0.19 है0 इन सभी सर्वे नम्बरों में से उपरोक्त रकवा विक्रय किये जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया था। कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र पर विधिवत् विचार किये बिना ही पारित आदेश दिनांक 28.10.2016 से आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की इसी कार्यवाही के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।	

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक द्वारा अपने स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि के विक्रय हेतु अनुमति आवेदन पत्र कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिसपर न्यायालय द्वारा विधिवत् विचार नहीं किया है, जबकि आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया था। कि भूमि का विक्रय सद्भावना पर आधारित है, तथा वह भूमिहीन नहीं होगा बल्कि अपनी शेष बची भूमि को अधिक उपजाऊ बनायेगा। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिये थी। इस वैधानिक तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है एवं आवेदक को भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाये।

5– अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया है कि कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा उपरोक्त प्रकरण विधिवत् विचार किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में वर्तमान निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है। अन्त में निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6– उभयपक्षों के अभिभाषको के तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा ग्राम हसर्रा के भूमि सर्वे नं. 1143 रकवा 0.900 है0 में से सम्पूर्ण रकवा 0.900 है0 एवं ग्राम रतवास सर्वे नं. 75,76 कुल रकवा 3.340 में से 0.40 है0 तथा ग्राम बामौरकला में स्थित भूमि सर्वे नं. 2185/2 रकवा 0.950 है0 में से 0.19 है0 के विक्रय

की अनुमति हेतु आवेदन पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उल्लेख किया था कि उपरोक्त भूमि विक्रय करने के पश्चात् आवेदक के पास अन्य कृषि भूमि सर्वे नं. 172 रकवा 1.940 है, सर्वे न. 856 रकवा 0.970 है0 एवं सर्वे नं. 758 मिन रकवा 0.60 है0 स्थित ग्राम खिसलौनी हल्का नं. 74 रा.नि.म. मुहारी में शेष बचेगी। जिससे वह भूमिहीन नहीं होगा बल्कि उसके भरण पोषण जीवनयापन पर्याप्त भूमि है। आवेदक को भूमि का गाईड लाईन के अनुसार पर्याप्त मूल्य प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्य पर सद्भाविक विचार कर आदेश पारित किया जाना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 4//2016–17/अ–21 में पारित आदेश दिनांक 28.10.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम हसर्रा, रा.नि.म. मुहारी, तहसील खनियाधाना के सर्वे नम्बर 1143 रकवा 0.900 है0 एवं सर्वे नम्बर 75 रकवा 0.490 है0, सर्वे नम्बर 76 रकवा 2.850 है0 तथा ग्राम रतवास हल्का नम्बर 70 हसर्रा रा.नि.म. मुहारी एवं सर्वे नम्बर 2185/2 रकवा 0.950 है0 स्थित ग्राम बामौरकला, हल्का नं.69 में स्थित है। उक्त सर्वे नम्बरों में क्रमशः सर्वे नम्बर 1143 रकवा 0.900 है0 में से सम्पूर्ण 0.900 है0, सर्वे नम्बर 75 एवं 76 कुल रकवा 3.340 में से 0.40 हैक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 2185/2 रकवा 0.950 में से 0.19 है0 भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाती है।

सदस्य